विज्ञापन सं. 04/2019

संघ लोक सेवा आयोग

वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित करता है ।

रिक्ति विवरण

1. (रिक्ति सं. 19040401127) एक सहायक पशु शल्य चिकित्सक, केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार, पशुपालन तथा डेयरी विभाग, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय (अ.पि.व.- 01) । पद स्थायी है । **वेतनमान** : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 38* वर्ष । **अ. यो. : शैक्षिक** : (i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (1984 का 52) की प्रथम या द्वितीय अनुसूची में शामिल भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन में बैचलर डिग्री । (ii) किसी वृहत संस्थागत पशुधन फार्म वरीयत: भेड़ फार्म में रोगों की जांच तथा इलाज करने संबंधी कार्य में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी** : पशुधन फार्म को बृहत माना जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी होती हो, नामत :- (i) भेड़ तथा बकरी फार्म के लिए एक हजार मादा नस्ल या उससे अधिक की संख्या में भेड़ तथा बकरियों का समूह । (ii) मवेशी तथा भैंस फार्म के लिए दो सौ मादा नस्ल या उससे अधिक की संख्या में मवेशी तथा भैंसो का समूह और (iii) कुक्कुट फार्म के लिए पांच हजार या इससे अधिक पक्षियों का समूह होना चाहिए । **टिप्पणी - I** : आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख होगी । **टिप्पणी - II** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकेगी । **टिप्पणी -III** : अ.जा. या अ.ज.जा. से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में भी यदि चयन के किसी भी स्तर पर आयोग का यह मत है कि इन समुदायों से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त

संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के

विवेकानुसार शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **वांछनीय** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान में पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा । **कार्य** : स्वास्थ्य सेवाओं, रोग नियंत्रण, पशु स्वास्थ्य के रख-रखाव, टीकाकरण का पर्यवेक्षण, प्रजनन कार्यक्रम और रिकर्ड का रख-रखाव, भेड़ प्रबंधन तथा फार्म के स्टाफ का पर्यवेक्षण करने में पशु चिकित्सा अधिकारी की सहायता करना । **मुख्यालय** : अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित नई दिल्ली । **अन्य शर्तें** : भारत में किसी भी स्थान पर सेवा करने के दायित्व सहित केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार में तैनात किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण
ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तारीख 16.05.2019 को 23.59 बजे तक है । **पूर्ण रूप से भर कर ऑन लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेने की अंतिम तारीख 17.05.2019 को 23.59 बजे तक है ।**
सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र **(ओ.आर.ए.)** जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कम्प्यूटर आधारित लघु सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।
साक्षात्कार की तारीख, जिस दिन लघु सूची में शामिल उम्मीदवारों को अपने ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ-साथ अन्य दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करने के लिए लाने हैं, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी ।

टिप्पणी :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में आवेदन ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ही करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को **न** लिखें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ।

ख) मद सं 1* के सामने दर्शाई गई आयु सीमा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, शिथिलनीय आयु सीमा है । सभी मदों के सामने दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट है । अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी जो रियायत है, उसके लिए आवेदक कृपया आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित "चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" के संगत पैरा देखें ।

(ग) उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण के लाभ का पात्र केवल तभी होगा यदि उम्मीदवार की जाति, जिस से वह संबंधित है, को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो । यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में आयोग को अपनी श्रेणी को बदलने के लिए लिखता / लिखती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार (पी.एच.) अथवा अशक्त उम्मीदवार, जैसाकि रिक्तियों के विवरण में विभिन्न मद (मदों) के सामने दर्शाया गया है, उन संगत पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं लेकिन उपयुक्त समझे गए हैं । तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा । कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने का पात्र माना जाएगा, जैसाकि नियमों के अंतर्गत अनुमेय है । अत: शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार (पी.एच.) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं :

(i) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों ।

(ii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होगीं जब शारीरिक अशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों ।

(ड़) **मुख्यालय** : कुछेक पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित निर्दिष्ट स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

(च) **परिवीक्षा** : चुने गए व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

उम्मीदवार अनिवार्यत: या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर आया है। किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया हो।

टिप्पणी :- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रदान कर दे ।

2. आयु सीमाएं : इस पद के लिए आयु सीमा का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आयु संबंधी कतिपय रियायत के लिए कृपया छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश **देखें।**

3. न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यत: पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हैं। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी -I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी -II : जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, तो आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है :

(क) "वांछनीय योग्यता (डी.क्यू.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है"।
(ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।
(ग) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।
(घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।
(ड.) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।
(च) भर्ती परीक्षण आयोजित करके।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें।

टिप्पणी -III :-

महत्वपूर्ण	
(i)	चयन चाहे केवल साक्षात्कार द्वारा या भर्ती परीक्षण के बाद साक्षात्कार किया जाए, साक्षात्कार के लिए उपयुक्तता का श्रेणीवार न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से अना.-50 अंक, अ.पि.व.-45 अंक, अ.जा./अ.ज.जा./शा.वि.-40 अंक होगा।
(ii)	जिन मामलों में भर्ती परीक्षण (आरटी) के बाद साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाता है

उनमें उम्मीदवार को दोनों चरणों, अर्थात 'भर्ती परीक्षण' के साथ-साथ 'साक्षात्कार' में भी अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना होगा। भर्ती परीक्षण के मामले में, आयोग द्वारा उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

4. आवेदन शुल्क :

(क) उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 25/- रु. (पच्चीस रूपए) की राशि एस.बी.आई. की किसी भी शाखा में नकद या एस.बी.आई. की नेट बैंकिंग सुविधा या वीज़ा /मास्टर क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करनी होगी ।

(ख) अ.जा. / अ.ज.जा. / शारीरिक विकलांग / किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा । अ.पि.व. के पुरूष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें पूरा निर्धारित शुल्क देना होगा ।

(ग) निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा । इस प्रकार के निरसन के विरूद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(घ) दिए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिक द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 मास से कम न हो। यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने मिलिट्री सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तारीख को और 5 वर्ष आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरे के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर नीचे दर्शाए गए समुचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए:-

(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

नौसेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

(ii) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में:-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा,

नौसेना : नौसेना रिकार्ड, बंबई

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 10 वर्ष तथा अ.पि.व. के व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 8 वर्ष) की छूट है। वे उम्मीदवार जो इस पैरे के अंतर्गत केन्द्र सरकार का कर्मचारी होने के आधार पर आयु में छूट का दावा करते हैं उन्हें इस **विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख के बाद** में अपने नियोक्ता से कार्यालय के (पत्र शीर्ष) पर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केन्द्र सरकार का नियमित कर्मचारी है और वह नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

ऐसे सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट देय होगी जो ऐसे पदों पर कार्यरत हैं जो उसी क्षेत्र से संबंधित हैं या संबद्ध संवर्ग के है तथा उनके बीच ऐसा संबंध स्थापित किया जा सकता हो कि वे जिस विशिष्ट पद पर कार्यरत हैं उस पर की गई सेवाएं विज्ञापित पद (पदों) के कार्यों के सुचारू निपटान में उपयोगी रहेंगी। इस संबंध में निर्णय आयोग का होगा ।

(घ) उन व्यक्तियों को जो सामान्यत: 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हो, आयु सीमा में छूट दी जाएगी :

उन सभी उम्मीदवारों को जो सामान्यत: 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हो, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी । इस उप-पैरा के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उस जिला मजिस्ट्रेट से या जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नामोद्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी से, जिसके क्षेत्राधिकार में उन्होंने सामान्यत: निवास किया हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। छूट की यह अवधि 31.12.2019 तक लागू रहेगी।

(ङ) शारीरिक विकलांग (पी.एच.) व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट :

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत (क) दृष्टिबाधित या कमजोर दृष्टि (ख) श्रवण बाधित और (ग) चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जैसी अशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किए गए सभी सिविल पदों/सेवाओं पर सीधी भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष और अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष) दी जाएगी, जो इस शर्त के अध्यधीन दी जाएगी कि अंतिम तारीख को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अशक्त व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित है या नहीं, दोनों ही स्थिति में, अशक्त व्यक्तियों को आयु में छूट अनुमेय है बशर्ते संबंधित पद अशक्तता की श्रेणी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया गया है।

(ii) न्यूनतम 40% अशक्तता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट अनुमेय होगी।

(iii) ऐसे अशक्त उम्मीदवार जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट के हकदार हैं, उन्हें 'अशक्त उम्मीदवार' या 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के रूप में ही रियायत मिलेगी ।

(iv) ऐसे पद/सेवा के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधान किया गया हो।

(v) आयु में छूट के प्रयोजनार्थ अशक्तता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा का. एवं प्रशि. वि. के दिनांक 29 दिसंबर, 2005 के का.ज्ञा. सं. 36035/3/2004-स्था. (आरक्षण) दिए अनुसार होगी।

6. (क) आवेदन किस प्रकार करें :

(i) उम्मीदवार अनिवार्यत: वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरकारी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) **उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार अपनी शैक्षिक योग्यता, जन्म-तिथि, अनुभव (विशेष रूप से निर्धारित प्रपत्र में), वांछनीय योग्यता (योग्यताओं) या अन्य कोई जानकारी के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों को एक सिंगल पीडीएफ फाइल में इस प्रकार अपलोड करना होगा कि फाइल का आकार 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल कर पढ़ा जा सके। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करने होंगे। वेतन पर्ची, बायोडाटा, नियुक्ति आदेश, कार्य-मुक्ति पत्र, अहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण-पत्र, आदि दस्तावेजों को डॉक्यूमेंट अपलोड मॉड्यूल में हरगिज अपलोड नहीं किया जाना चाहिए।**

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म-तिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्म-तिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के समर्थन के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को प्राधिकारी सहित उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो ।

(घ) दावा किए गए सम्पूर्ण अनुभव के लिए संगठन (संगठनों)/ विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में, जिनमें स्पष्ट रूप से रोज़गार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप / प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो उस पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ड.) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति तथा उस अधिनियम/ आदेश, जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो, तथा उस गांव / शहर के नाम का उल्लेख किया गया हो जहां वह सामान्यत: निवास करता हो।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तारीख को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, उक्त पद के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख निर्णायक तारीख के रूप में मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड

का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने / प्रमस्तिष्कीय/ दृष्टि/ श्रवण अक्षमता जैसा भी मामला हो, के आकलन में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से अभिप्रमाणित कराकर अपलोड करना होगा ।

(iii) **महत्वपूर्ण : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।**

(iv) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें।

(v) ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

(vi) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता / करती है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन सं." वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र शुल्क सहित सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर "आवेदन सं." वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को ही स्वीकार

किया जाएगा और एक “आवेदन सं.” के लिए दिए गए आवेदन शुल्क को किसी अन्य “आवेदन पत्र सं.” के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

(viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

6. (ख) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

“ चेतावनी ” :

साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की लघु सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर तैयार की जाएगी। उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए

- **आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।**
- **केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से।**

विवर्जित कर सकती है :-

7. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण-पत्र

ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा बुलावा पत्र में साक्षात्कार के लिए दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार यात्रा खर्च के रूप में आयोग द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के हकदार नहीं होंगे :-

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित

शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को प्राधिकारी के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों)/ विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोज़गार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ङ.) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का उल्लेख किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यत: निवास करता हो।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तारीख

को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारतत अंतिम तारीख निर्णायक तारीख के रूप में मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने/ प्रमस्तिष्कीय / दृष्टि / श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) **<u>महिलाओं के विवाह के मामले में</u>** - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) **<u>महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में</u> -** पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) **<u>तलाकशुदा महिलाओं के मामले में</u> -** तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) **<u>अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में</u>**, एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई

हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(झ) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र / दस्तावेज :

i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भू. सै. तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

ii) केन्द्र सरकार /संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन की तारीख के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी।

iii) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

iv) विधवा / तलाकशुदा / न्यायिक पृथक्करण के तहत अपने पति से अलग रह रही महिलाओं के लिए।

v) वे व्यक्ति जिन्होंने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक सामान्यत: जम्मू और कश्मीर राज्य में निवास किया हो।

vi) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध / आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

(ञ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन/ घंटेवार भुगतान / संविदा आधार से इतर स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है।

(ट) व्यावसायिक पंजीकरण, भाषा, प्रकाशन, नेट, गेट, सम्मेलन, इंटर्नशिप संबंधी दावे के संबंध में प्रमाण-पत्र।

(ठ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी । : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तारीख निर्णायक है। बाद में जन्म की तारीख में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : *उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए लघुसूची तैयार करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग / अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को गिना नहीं जाएगा ।*

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है:

(क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
(ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल से कार्य साधन कराया है, अथवा
(घ) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा
(ङ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा
(च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
(छ) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
(ज) उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा
(झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा
(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा
(ठ) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया हो।

(ड) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे -

(i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, अथवा

(ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

- आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और

(iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

9. अन्य सूचना/अनुदेश

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हो या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/ घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तारीख होगी।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष योग्यता खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/ पत्र, जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम (संख्या तथा तारीख) सूचित करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है ।

(घ) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है। तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान

से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में यह यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेलवे किराए के वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के लिए द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की राशि के अनुरूप दर पर अंशदान देता है। इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा।

(ड.) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें उनके द्वारा किराये के लिए किये गये खर्चों का भुगतान आयोग द्वारा साक्षात्कार वाले दिन ही कर दिया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्ते पूरी करतें हों। जिन उम्मीदवारों को दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा।

(च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

(छ) उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा ।

(ज) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट / रोज़गार समाचार के माध्यम से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।

(झ) आयोग अपने विवेक से विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है।

(ट) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुचायना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा /साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

(क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरूष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है ।

(ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवार, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं0 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

निर्धारित प्रोफार्मा

<u>प्रोफार्मा-I</u>

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... सुपुत्र/सुपुत्री* श्री ..... जो ग्राम/कस्बा* ..... जिला/मंडल* ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ..... जाति/जनजाति* ..... के/की हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में मान्यता प्रदान की गई है :-

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश 1951

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश 1951

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (आशोधन) आदेश, 1956; बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986,

अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1986 और गोवा, दमन तथा दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित]

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश 1956

@ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, द्वारा यथा संशोधित

@ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश 1962

@ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962

@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968

@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1989

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश अधिनियम, 1990

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

@ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

% 2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रवर्जन कर चुके हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... जो ग्राम/कस्बा* ..... जिला/मंडल* ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ..... के/की* हैं, जो ..... जाति/जनजाति से संबद्ध हैं जिसे ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त है, के पिता/माता श्री/श्रीमती ..... को दिनांक ..... को..... द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... और/या* उनका* परिवार साधारणतया ग्राम/कस्बा* ..... जिला/मंडल* ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ..... में निवास करते/करती* है।

हस्ताक्षर .....
**पदनाम .....

(कार्यालय की मोहर सहित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
स्थान.....
तारीख.....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें.

@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त "साधारणतया निवास करते/करती* है" ।
शब्दों का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दि पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है.

**अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/आयुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/# सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
#(प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के ओहदे से कम नहीं)

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार आमतौर से निवास करता है ।

(v) प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

<u>प्रोफार्मा-।।</u>

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... सुपुत्र/सुपुत्री* श्री ..... जो ग्राम/कस्बा* ..... जिला/मंडल* ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ..... के/की* हैं, ... समुदाय से संबंध रखते हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है :-

@ दिनांक 13 सितंबर, 1993 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I के खंड-1, सं.186 में प्रकाशित दिनांक 10 सितंबर, 1993 का भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी(सी)

@ दिनांक 20.10.1994 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I के खंड-1, सं. 163 में प्रकाशित दिनांक 19.10.94 का भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/9/94-बीसीसी

@ दिनांक 25.5.1995 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I के खंड-1, सं. 88 में प्रकाशित दिनांक 24.5.95 का भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी

@ दिनांक 11 मार्च, 1996 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 60 में प्रकाशित दिनांक 9 मार्च, 1996 का भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/96/94-बीसीसी

@ दिनांक 11 दिसंबर, 1996 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 210 में प्रकाशित दिनांक 6 दिसंबर, 1996 का भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/44/96-बीसीसी

@ दिनांक 12 दिसंबर, 1997 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 236 में प्रकाशित दिनांक 11 दिसंबर, 1997 का भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/99/94-बीसीसी

@ दिनांक 17 दिसंबर, 1997 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 239 में प्रकाशित दिनांक 3 दिसंबर, 1997 का भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/13/97-बीसीसी

@ दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 241 में प्रकाशित दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/68/98-बीसीसी

@ दिनांक 6 दिसंबर, 1999 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 270 में प्रकाशित दिनांक 6 दिसंबर, 1999 का भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/88/98-बीसीसी

@ दिनांक 4 अप्रैल, 2000 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 71 में प्रकाशित दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/36/99-बीसीसी

@ दिनांक 21 सितंबर, 2000 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 210 में प्रकाशित दिनांक 21 सितंबर, 2000 का भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/44/99-बीसीसी

@ दिनांक 6 सितंबर, 2001 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 246 में प्रकाशित दिनांक 6 सितंबर, 2001 का भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प सं. 12015/9/2000-बीसीसी

@ दिनांक 20 जून, 2003 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 151 में प्रकाशित दिनांक 19 जून, 2003 का भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/1/2001-बीसीसी

@ दिनांक 13 जनवरी, 2004 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 9 में प्रकाशित दिनांक 13 जनवरी, 2004 का भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/4/2002-बीसीसी

@ दिनांक 12 मार्च, 2007 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-1, सं. 67 में प्रकाशित दिनांक 12 मार्च, 2007 का भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प सं. 12011/14/2004-बीसीसी

श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... और/या* उनका परिवार साधारणतया ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के ..... जिले/मंडल* के ..... ग्राम/कस्बा* में रहते निवास करते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह* भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी), दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) और दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों*(क्रीमी लेयर) से संबंध नहीं ररखते हैं।

हस्ताक्षर .....
**पदनाम .....

(कार्यालय की मोहर सहित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

स्थान.....
तारीख.....

*जो शब्द लागू न हों कृपया उन्हें काट दें.
@ जो लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त "साधारणतया रहते/रहती* हैं." शब्दों का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दि पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है.

**अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरयों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/आयुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/# सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
#(प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के ओहदे से कम नहीं)

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार आमतौर से निवास करता है ।

(v) प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

टिप्पणी-1 : अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्ग के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा जिससे उसके पिता मूलत: संबद्ध हैं। अत: वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) से दूसरे राज्य में प्रवर्जन कर चुका है उसे अन्य पिछड़े वर्ग का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिससे (पिता) मूलत: संबद्ध हैं, से प्राप्त अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।

टिप्पणी-3 : आयोग, सामान्यत: इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र में उम्मीदवार द्वारा पहले से दर्शायी गई जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

<u>प्रोफार्मा-।।।</u>

अ.पि.व. के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र
(समुदाय प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)

मैं ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी गांव/कस्बा/शहर ..... जिला ..... राज्य ..... एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ..... समुदाय से संबंधित हूं जिसे भारत सरकार द्वारा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36102/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 में दिए गए आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं दिनांक 8.9.1993 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) तथा दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 36033/3/2004-स्था. की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (संपन्न वर्ग अर्थात क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

हस्ताक्षर : .....
पूरा नाम : .....
पता : .....

<u>प्रोफार्मा - IV</u>

खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों से अन्यथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आयु रियायत का लाभ लेने के लिए सेवारत/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

(क) कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं. ..... रैंक ..... नाम ....., जिनकी जन्मतिथि ..... है, ने ..... से ..... तक थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है।

2. उन्हें सैन्य सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है :

% (क) निम्नलिखित से अन्यथा सुपुर्द कार्य पूरा होने पर

(i) बर्खास्तगी के द्वारा या

(ii) कदाचार या अकुशलता के कारण निर्मुक्त कर के या

(iii) उनके स्वयं के अनुरोध पर लेकिन अपनी पेंशन अर्जित किए बिना या

(iv) उन्हें ऐसी कार्यमुक्ति की लंबितता के रिजर्व होने के कारण स्थानांतरित नहीं किया गया है।

% ख) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं।

% (ग) कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा करने के बाद अविधिमान्यकरण होने पर

3. वे समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुन:नियोजन) नियमावली, 1979 की परिभाषा के अंतर्गत कवर होते हैं।

स्थान : .....

तारीख : .....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम**

मुहर

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म

(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।

प्रमाणित किया जाता है कि सं. ..... रैंक ..... नाम ..... दिनांक ..... से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं।

2. उन्हें दिनांक ..... को अपने सुपुर्द कार्य की विनिर्दिष्ट अवधि पूरा करने पर सेवानिवृत्त होने पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

3. उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है।

स्थान : .....

तारीख : .....

सक्षम प्राधिकारी** के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम

मुहर

उपर्युक्तानुसार प्रमाण पत्र "ख" प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों (सेवारत कार्मिक) को निम्नलिखित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा :-

एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त होने वाले सेवारत सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध :

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो मेरी यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूं और यह कि समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ।

उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर

स्थान : .....

तारीख : .....

ग. प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पहले ही पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि सं. ..... रैंक ..... नाम ....., जिनकी जन्मतिथि ..... है, ... से थल सेना वायु सेना नौसेना में सेवारत हैं ।

2. उन्होंने पहले ही अपनी प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा ..... को पूरी कर ली है और अब वे ..... तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।

3. सिविल रोज़गार हेतु उनके द्वारा आवेदन करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा उनका चयन हो जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान : .....
तारीख : .....

सक्षम प्राधिकारी** के हस्ताक्षर,
नाम और पदनाम
मुहर

सशस्त्र बल कार्मिकों को आयु में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी** निम्नलिखित हैं:-

(क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) के मामले में :-

थल सेना --मिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले मे :-

थल सेना --- विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा।

नौसेना --- बी.ए.बी.एस., मुम्बई।

वायु सेना ---- वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली।

प्रोफार्मा - V

प्रपत्र - II

अक्षमता प्रमाण पत्र
(अंगच्छेदन या अंगों के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघात के मामले में
और दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में)

(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अक्षम व्यक्ति का वर्तमान पासपोर्ट आकार का साक्ष्यांकित फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण-पत्र सं. दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि _____ _____ _____ आयु _____वर्ष, पुरूष/महिला _____
(दिन / माह / वर्ष)
पंजीकरण सं._____स्थायी निवासी मकान नं._____ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य _____, जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं विश्वास है कि :

(क) वह निम्न रोग से ग्रस्त हैं:

- चलने में असमर्थ
- दृष्टिहीन

(कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(ख) उनके मामले में .....निदान है।

(ग) उन्हें मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख) .....% (अंकों में) .....प्रतिशत (शब्दों में) उनके ..... (शरीर का अंग) के संबंध में स्थायी शारीरिक अक्षमता/दृष्टिबाधिता हैं।

2. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

<u>प्रपत्र - III</u>

अक्षमता प्रमाण पत्र

(एकाधिक विकलांगता के मामले में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(नियम 4 देखें)

अक्षम व्यक्ति का वर्तमान पासपोर्ट आकार का साक्ष्यांकित फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण-पत्र सं. .....

दिनांक : .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... जन्म तिथि .... आयु ..... वर्ष,
(दिन/ माह/ वर्ष)
पुरूष/महिला ..... पंजीकरण सं. ..... स्थायी निवासी मकान नं. ..... वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... , जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और हमें विश्वास है कि :

(क) वे बहुबिध विकलांगता से ग्रस्त हैं। अक्षमता संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), उनकी स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता/अक्षमता के प्रतिशत की सीमा का मूल्यांकन किया गया है और नीचे तालिका में संगत अक्षमता के सामने दर्शाया गया है:

क्र.सं.	अक्षमता शारीरिक अक्षमता (% में)	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	कम दृष्टि	#		
3.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
4.	श्रवण बाधित	$		
5.	मानसिक मन्दता	X		
6.	मानसिक व्याधि	X		

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), उनकी समस्त स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता निम्नानुसार है:-

शब्दों में ..... प्रतिशत
आंकड़ों में ..... प्रतिशत

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अक्षमता का आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) वर्ष ..... माह के उपरांत ..... की अनुशंसा की जाती है ..... और इसलिए यह प्रमाण पत्र .... तक के लिए वैध रहेगा।

(दिन) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर
# एक आंख/दोनों आंख
£ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र - IV

अक्षमता प्रमाण पत्र

(फार्म II और III में उल्लिखित मामलों से भिन्न मामलों में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(नियम 4 देखें)

अक्षम व्यक्ति का वर्तमान पासपोर्ट आकार का साक्ष्यांकन फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण-पत्र सं. दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ _____ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु _____ वर्ष,
(दिन/ माह/वर्ष)
पुरूष/महिला _____ पंजीकरण सं._____ स्थायी निवासी मकान नं. _____ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट_____ डाकघर _____ जिला_____ राज्य _____ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मुझे विश्वास है कि वह ..... अक्षमता से ग्रस्त हैं। मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता/अक्षमता का प्रतिशत में आकलन किया गया है और नीचे तालिका में संगत अक्षमता के सामने दर्शाया गया है:

क्र. सं.	**निशक्तता**	**शरीर का प्रभावित अंग**	**निदान**	**स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)**
1.	चलने में असमर्थ	**@**		
2.	कम दृष्टि	**#**		
3.	दृष्टिहीनता	**दोनों आंखों से**		
4.	श्रवण बाधित	**$**		
5.	मानसिक मन्दता	**X**		
6.	मानसिक व्याधि	**X**		

(कृपया उस अक्षमता को काट दें जो लागू नहीं हैं)

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अक्षमता का पुन आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) ..... वर्ष .....माह के उपरांत पुनर्आकलन की अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण पत्र .... तक के लिए वैध रहेगा।

(दिन) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

एक आंख/दोनों आंख

£ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा (मुहर सहित)}

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा।"

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 908 (ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

<u>प्रोफार्मा-VI</u>

आयु में छूट का दावा करने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

(संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हेड)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... इस संगठन/विभाग/मंत्रालय का नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी है और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा निम्न कार्य किए गए हैं :

प्रमाणित किया जाता है कि:

*(क) श्री/श्रीमती/कु. ..... दिनांक ..... से ..... कार्यालय/विभाग में वास्तव में ..... के स्थायी पद पर हैं।

*(ख) श्री/श्रीमती/कु. ..... दिनांक ..... से ..... कार्यालय/विभाग में ..... पद पर केन्द्र सरकार के अधीन अस्थायी सेवा में नियमित आधार पर सतत रूप से अस्थाई सेवा में हैं।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

स्थान: ..... मंत्रालय/कार्यालय.....

दिनांक : ..... पता .....

कार्यालय मुहर .....

प्रपत्र-VII

अनुभव के दावे के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

फार्म-I

अनुभव प्रमाण-पत्र

(संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हेड)

टेलीफोन नं. .....

सं. .....

फैक्स नं. .....

संगठन का नाम

संगठन का पता

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... इस संगठन/विभाग/मंत्रालय के कर्मचारी थे/हैं और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई ड्यूटी निम्नानुसार हैं :-

धारित पद का नाम	दिन/ माह/ वर्ष से	दिन/माह/वर्ष तक	कुल अवधि दिन/ माह/वर्ष	नियुक्ति का स्वरूप - स्थायी, नियमित, अस्थायी, अंशकालिक, संविदा आधार पर, अतिथि, मानद आदि	अनुभव का विभाग/ विशिष्टता/ क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मासिक पारिश्रमिक (कुल)	प्रत्येक पद में की गई ड्यूटी/प्राप्त अनुभव (यदि आवश्यक हो, तो कृपया अलग पृष्ठ पर विवरण दें) (चिकित्सकीय पदों के मामले में, कृपया विशिष्टता वाले क्षेत्र का उल्लेख करें)	तैनाती का स्थान	नियुक्ति का स्वरूप - क) प्रबंधकीय (अवर/मध्यवर्ती/वरिष्ठ*) ख) पर्यवेक्षी ग) प्रचालन संबंधी घ) यदि उपर्युक्त में से कोई नहीं है तो कृपया कार्य का स्वरूप बताएं (*जो लागू न हो उसे काट दें)	टिप्पणी, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य और आंकड़े सही हैं तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा रिकार्ड पर आधारित हैं।

हस्ताक्षर .....
सक्षम प्राधिकारी का नाम
सक्षम प्राधिकारी की मुहर

फार्म - II

अनुभव प्रमाण-पत्र
(डी.एन.बी./डी.एम./एम.सीएच. पाठ्यक्रम के दौरान अनुभव के लिए)

संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हैड)

दूरभाष सं. .....
फैक्स सं. .....

संगठन का नाम
संगठन का पता

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि डा. ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... (पंजीकरण सं. .....) दिनांक ..... की अधिसूचना सं. ..... के तहत ..... (पाठ्यक्रम का नाम) परीक्षा में डिप्लोमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी)/डॉक्टर इन मेडिसिन (डीएम)/मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) के छात्र/छात्रा थे। डा. ..... को भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यताप्राप्त इस कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा ..... (विशेषज्ञता का नाम) में डी.एन.बी./डी.एम./एम.सीएच. की डिग्री प्रदान की गई ।

टिप्पणी - I : प्राप्त अनुभव वैध अध्यापन अनुभव (केवल चिकित्सीय अध्यापन पदों के लिए) के रूप में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा चिकित्सा प्रणाली से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

टिप्पणी - II : चिकित्सा संस्था/कालेज जहां से अनुभव प्राप्त किया गया है, संबंधित चिकित्सा प्राधिकारण द्वारा मान्यता प्राप्त है (केवल चिकित्सीय पदों हेतु)।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य तथा आंकड़े सही है तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा अभिलेखों पर आधारित है।

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी का नाम
सक्षम प्राधिकारी की मुहर

फार्म-III

अनुभव प्रमाण-पत्र
(अधिवक्ताओं को बार संबंधी अनुभव के लिए)

संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हैड)

दूरभाष सं. .....
फैक्स सं. .....

संगठन का नाम
संगठन का पता

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ..... (पंजीकरण सं. .....) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....., ... स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ सत्र न्यायालय/उच्च न्यायायलय/सर्वोच्च न्यायालय में .....से ..... तक फौजदारी/दीवानी मामलों में, अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे/रही हैं/कर चुके/चुकी हैं।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य तथा आंकड़े सही है तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा अभिलेखों पर आधारित है।

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी का नाम
सक्षम प्राधिकारी की मुहर